

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक

/जि0रा0, दि0

/02/2013

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, ठाकुरगंज।

विषय:- अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत ठाकुरगंज द्वारा शिकायत की गई है कि वार्ड नं0-09, मौजा-कनकपुर, थाना नं0-17, खाता नं0-948, खेसरा-4347,4348,4349,4402 अन्तर्गत कुछ दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान चला रहे हैं। प्रश्नगत भूमि जिला परिषद द्वारा नगर पंचायत, ठाकुरगंज को हस्तांतरित करा दिया गया है। इस संबंध में दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में याचिका भी दायर किये गये थे जिसमें उनके दावे को खारिज कर दिए जाने की बात कही गई है। आवेदन की प्रति संलग्न।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त मामले की स्थलीय जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए समाहर्ता, किशनगंज को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

EB

अपर समाहर्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 290 /जि0रा0, दिनांक- 27/10/2013
प्रतिलिपि:: श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, ठाकुरगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

EB

अपर समाहर्ता,
किशनगंज।

✓ प्रतिलिपि :: ज्ञापांक 290 /जि0रा0, दिनांक- 27/10/2013
जिला प्रबंधक (आई.टी.) किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shakeb

अपर समाहर्ता,
किशनगंज।